

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक:- प.11(3)(10)/मो./ICDS/2016-17/29950

दिनांक 15-3-2020


आदेश

मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय जिसमें बचाव के लिये एहतियात के तौर पर प्रदेश में 31 मार्च 2020 तक सभी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द रहेंगे।

उक्त अवधि में लाभार्थियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका द्वारा प्रावधान अनुसार TAKE HOME RATION का वितरण यथावत रूप से जारी रखा जावेगा व 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों हेतु भी TAKE HOME RATION का वितरण किया जावेगा तथा वजन, त्योहार एवं पोषण अभियान अन्तर्गत पोषण पखवाडा के कार्यक्रमों को आगामी आदेश तक स्थगित रखा जावे।

सभी उपनिदेशक / बाल विकास परियोजना अधिकारी आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित करेंगे।


www.rajteachers.com


निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक:- प.11(3)(10)/मो./ICDS/2016-17/29951-30663 दिनांक 15-3-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, समस्त।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
7. प्रभारी अधिकारी, निदेशालय मुख्यालय, समस्त।
8. एनलिस्ट - कम - प्रोग्रामर को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, समस्त।


संयुक्त निदेशक(मो.)